B.A. PART-II
POL.SC.(HONS)
4th PAPER

1) सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों की व्याख्या करें

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की पहली इकाई है किन्तु दुर्भाग्यवश अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बरकरार रखने में यह संस्था सफल नहीं हो सकी। 1 सितम्बर 1939 को हिटलर के द्वारा जब पोलैण्ड पर आक्रमण किया गया जिसके वजह से विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। इसके उपरान्त शान्ति प्रिय राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की दूसरी महत्वपूर्ण इकाई के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ को 1945 में जन्म दिया। अतः कुछ विचारकों का मत है कि सुरक्षा परिषद ही संयुक्त राष्ट्रसंघ है। क्योंकि इसी के कंधों पर विश्व शान्ति का भार दिया गया है। जैसा कि पामर और पार्किन्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि-" Security council is the key organ of the united nations
बेन्टले ने भी इसके बारे में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सुरक्षा परिषद

मे कार्य पालिका और सरकार के बीच मौजूद है। निकोलस के अनुसार वास्तव में सुरक्षा परिषद एक पुलिस मैन के समान है जो सशस्त्र है और थोड़े से इशारे पर तलवार खींच सकता है। इसका सम्बन्ध अधिकांशतः शान्ति और व्यवस्था से है न कि कार्रवाई और बुराई से। इस प्रकार सम्बन्ध अधिकांशतः शान्ति और व्यवस्था से है न कि कार्रवाई और बुराई से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसके ऊपर विश्व के समक्ष UNO का भविष्य निर्भर करता है।

सेन्टफ्रांसिस्को सम्मेलन मे U.N.O के चार्टर पर जब 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था तो उस समय सुरक्षा परिषद मे 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य थे किन्तु समय और परिस्थिति के विकास के कारण जब U.N.O के सदस्यो की वृद्धि होने लगी तो 17 दिसम्बर 1965 को इसके सदस्यो की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया है जो आज भी बराबर

इस वर्तमान परिवेश में भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की श्रेणी में आने के लिए प्रयत्नशील है सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित कार्य है।

(1) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था करना।

सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन U.N. के चार्टर की धारा 24 से 51 तक की धाराओं में है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की धारा 24 में सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को ठीक ढंग से निर्वाह नहीं किया जाय तो विश्व शांति अशान्ति में परिणत होकर विश्व की सम्पूर्ण मानवता को समाप्त कर सकता है। सुरक्षा परिषद निम्नलिखित निम्न प्रकार से विश्व की समस्याओं का समाप्त करने का प्रयास करता है किसी प्रकार से उसे किसी समस्या की जानकारी प्राप्त होती है सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त राष्ट्र या गैर सदस्य राष्ट्र भी अपनी समस्याओं की जानकारी सुरक्षा परिषद को दे सकते है। उसके बाद सुरक्षा परिषद उनों की कारवाई करने

पर आर हो जाता है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र की यह कार्यपालिका है

सुरक्षा परिषद स्वयं भी विश्व की समस्याओं की जानकारी करेगा जिससे विश्व शान्ति को खतरा होने की आशंका न हो।

कभी-कभी महासभा भी सुरक्षा परिषद का ध्यान विश्व की उन समस्याओं की ओर ले जाएगी जिससे विश्व शान्ति और सुरक्षा को खतरा होने की आशंका हो।

चार्टर की धारा 99 के अनुसार महासचिव यह अधिकार है कि सुरक्षा परिषद का ध्यान उन समस्याओं की ओर ले जाएगी जिससे विश्व शान्ती और सुरक्षा को निकट हो रहा हो।

सुरक्षा परिषद को जब इन समस्याओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सर्वप्रथम शान्तिपूर्ण समझौता द्वारा उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है

अगर शान्तिपूर्ण समझौते द्वारा वे समस्याएँ समाधान नहीं होती है तो वैसी परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद् आक्रामक कारवाई कर सकता है चार्टर की धारा 39 द्वारा यह प्रावधान करेगी कि दोषी राष्ट्रों से सभी प्रकार के समझौते वापस ले लिए जाए धारा 41 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सुरक्षा परिषद् दोषी राष्ट्रों से आर्थिक और राजनयिक सम्बन्धों को विच्छेद करने के लिए अपने सदस्य राष्ट्रों से दोषी राष्ट्रों के विरुद्ध अपील करेगा। सुरक्षा परिषद् के इस अपील पर चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले सभी राष्ट्रों को इस निर्देश का पालन करना होता है। धारा 42 के द्वारा इस प्रकार की कारवाई से भी अगर दोषी राष्ट्र नियंत्रण में नहीं आ सकता है तो जल, थल और वायुसेना का प्रयोग कर उस समस्या को समाप्त करने का प्रावधान करेगा।

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ का वार्षिक प्रतिवेदन और बजट पेश करना।

सुरक्षा परिषद् का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ का सत्र नहीं चलता रहता है तो वैसी परिस्थिति में सुरक्षा परिषद् महासभा के सम्मुख वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता रहता है।
U.N.O. के विभिन्न अंगो के आय व्यय की वार्षिक बजट रखी जा सकती है अतः सुरक्षा परिषद् के माध्यम से ही आय व्यय सभा में या विश्व के समक्ष में वार्षिक प्रतिवेदन और बजट प्रस्तुत की जाती है।

(3) शस्त्रों के नियन्त्रण सम्बन्धी योजना बनाना।

सुरक्षा परिषद् के द्वारा विश्व में शस्त्रों की बाढ़ को रोकने के लिए सर्वप्रथम 1947 में एक शस्त्र सम्बन्धी नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना कर इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन होता रहा और आज भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिवेश में सुरक्षा परिषद् के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि विश्व में शस्त्रों की बढ़ोतरी पर रोक लगायी जाए क्योंकि वर्तमान परिवेश में विश्व में जितने आणविक शस्त्र हैं

इससे कहीं अधिक विश्व के शस्त्रों के भण्डार जमा हुए हैं अतः सुरक्षा परिषद और शस्त्रों के भण्डार को नियन्त्रित करने के लिए बराबर नवीन योजना का निर्माण कर रही है ताकि विश्व युद्ध को रोका जा सके।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष के उन्मूलन हेतु योजना-

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर जो नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ उसके परिणाम स्वरूप विश्व दो गुटों में विभक्त होकर शीत युद्ध की उग्रता की ओर भी अग्रसर करा दिया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के देशों में शान्ति के स्थान संघर्ष का वातावरण कायम हो गया है। सुरक्षा परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के पृथक समितियों का निर्माण किया है उदाहरण के लिए 25 अगस्त 1945 के इण्डोनेशिया की समस्या के समाधान के लिए जिस तरह U.N.O का निर्माण किया गया था उसी प्रकार 20 अगस्त 1948 को भारतीय उपमहाद्वीप के शान्ति

कायम करने के लिए एवं कश्मीर की समस्या के समाधान हेतु एक आयोग का गठन किया गया था अतः सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के समाधान के लिए प्रयत्नशील रहती है किन्तु सुरक्षा परिषद में आपसी तनाव के कारण veto शक्ति का जो प्रयोग होता है उसके चलते विश्व के बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय विवादों आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है

(5) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भंग के दौरान कार्यवाही करना :-

सुरक्षा परिषद को जब यह मालूम हो जाता है कि विश्व का कोई इतना आक्रामक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने जा रहा है तो सुरक्षा परिषद उस आक्रमणकारी राष्ट्र के विरोध इस प्रकार की कार्यवाही करेगा कि वह राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को भंग न कर सके क्योंकि सुरक्षा परिषद के अन्तर्गत one for all and All for one का सिद्धान्त है इसके अनुसार विश्व का सभी राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा किए

कार्यवाही का निर्धारण करेगा।

(6) निर्वाचन सम्बन्धी कार्य :-
सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है इतना ही नहीं आर्थिक और सामाजिक परिषद का निर्वाचन इसी के राय पर आम सभा करती है। इसके साथ ही साथ महासचिव की नियुक्ति भी इसी की अनुशंसा पर महासभा के द्वारा की जाती है।

(7) चार्टर के संशोधन सम्बन्धी कार्य :-
संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को चार्टर की संज्ञा दी जाती है अतः चार्टर का जब निर्माण हो रहा था, तो सैनफ्रांसिस्को सम्मेलन में चार्टर पर जो हस्ताक्षर किए जा रहे थे वह उस समय के समस्याओं और परिस्थितियों के आधार पर हुआ जो हस्ताक्षर किए जा रहे थे वह उस समय के समस्याओं और परिस्थितियों के आधार पर हुआ था।

(8) न्याय प्रदेशों के प्रशासन सम्बन्धी कार्य:
संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत वैसे तो न्यास प्रदेशों के प्रशासन के लिए एक अलग संरक्षक परिषद की व्यवस्था है किन्तु न्यास-परिषद के द्वारा अक्षम जनता को सजीव भागों पर सुरक्षा परिषद के चार्टर की धारा 83 के अनुसार यहाँ अपना कार्य संघ सकता है और प्रतिनिधि मण्डल के पद उन समझौतों का समर्थन करने का प्रमाण करता है

(9) प्रादेशिक व्यवस्था सम्बन्धी कार्य:-

U.N.O के चार्टर की धारा 52 के अनुसार विश्व में जो प्रादेशिक व्यवस्थाएँ हैं जरूरत पड़ने पर सुरक्षा परिषद उन व्यवस्थाओं से भी प्रश्न ले सकती है क्योंकि सुरक्षा परिषद में सदस्यों का परस्पर है।

(10) आक्रमण रक्षा सम्बन्धी कार्य:-

सुरक्षा परिषद को यह देखने का अधिकार है कि अगर विश्व में कोई दो राष्ट्र युद्ध करना शुरू कर दिया है

जैसे एक राष्ट्र जिस पर चढ़ाई किया गया हो उसको यह अधिकार है कि आत्म रक्षा हेतु वह अपनी सेना का प्रयोग कर सके लेकिन युद्ध के उपरान्त न रह जाये युद्ध का अंत किन्तु इसकी सूचना युद्ध के दौरान सुरक्षा परिषद को देना चाहिए।

(11) शान्ति भंग अथवा आक्रमण के दौरान कार्यवाही निर्धारण करना —

सुरक्षा परिषद को यह निर्णय करना है कि विश्व के किन समस्याओं के कारण शान्ति भंग हो रही है अतः उसके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की जानी उसका निर्धारण करना सुरक्षा परिषद का ही है सुरक्षा परिषद यह भी निर्धारित करता है कि किस प्रकार की कार्यवाही से शान्ति भंग करने वाले राष्ट्र को रोका जा सकता है।

(12) निरीक्षक सम्बन्धी कार्य :-

सुरक्षा परिषद विश्व की समस्याओं का निरीक्षण कर यह पता लगाता है कि कौन सी समस्याएं अधिक प्रबल है जिनके

चाहे विश्व में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जनता या सरकारों का सुरक्षा विशेषज्ञ कर उसको दूर करने की कार्यवाही करना।

(13) सैनिक दण्ड व्यवहार संहिता की धारा 93 से 99 में इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी सेना को केवल जब पुलिस परिषद सैनिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत हो जाता है तो वैसी परिस्थिति में दोनों राष्ट्रों को किसी प्रकार का दण्ड दिया जाए इस प्रकार अधिकृत हो जाता है तो वैसी परिस्थितियों में दोनों राष्ट्रों को किस प्रकार दण्ड दिया जाएं इस प्रकार के कार्यों का समापन भी पुलिस परिषद के माध्यम से ही किया जाता है।

The End